International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

# भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नवीन आपराधिक विधि सुधारों की प्रासंगिकता :-

# Relevance of Recent Criminal Law Reforms in the Context of Structural and Procedural challenges in the Indian Criminal Justice System

**दिग्विजय सिंह सिकरवार[1], डॉ. विनोद कुमार कांकर[2]**

[1]सहायक प्राध्यापक शास. पी.जी. महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)
[2]सह प्राध्यापक, एम.एल.बी. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ग्वालियर (म.प्र.)

**शोध सारांश :**
प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष विद्यमान समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन और तीन नए अधिनियमित भारतीय आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 द्वारा लाए गए व्यापक विधिक परिवर्तनों पर गहराई से विचार करता है। उपरोक्त नवीन आपराधिक कानूनों ने लंबे समय से चले आ रहे औपनिवेशिक काल के कानूनों भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लिया है। इन कानूनों का लागू होना भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित करता है। इन आपराधिक विधि सुधारों का उद्देश्य देश के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें और अधिक प्रासंगिक बनाना और देश के उभरते लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करना है। यह शोधपत्र इन आपराधिक विधि सुधारों से जुड़े मुद्दों की विश्लेषणात्मक जाँच करता है। शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

**मुख्य शब्द :-** आपराधिक न्याय प्रणाली; पुलिस; अनुसंधान; अभियोजन; न्यायपालिका; नवीन आपराधिक विधियाँ

**शोध अध्ययन का उद्देश्य : -**
शोधपत्र का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विद्यमान समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना तथा वर्ष 2023 में देश के आपराधिक न्याय तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में अधिनियमित की गईं आपराधिक विधियों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में

आपराधिक विधि सुधारों के रूप में हुए महत्वपूर्ण विधिक परिवर्तनों पर गहराई से विचार कर आपराधिक विधि सुधारों से जुड़े मुद्दों की विश्लेषणात्मक जाँच करना है। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में शोधपत्र सहायक सिद्ध होगा।

**शोध अध्ययन पद्धति :-**

बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष विद्यमान संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियों, प्रभावशीलता और कार्यनिष्पादन क्षमता की अभिवृद्धि हेतु सुझाव प्रस्तावित करने की दृष्टि से इस शोधपत्र में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्णनात्मक शोध पद्धति को नियोजित किया गया है।

## 1. भूमिका :-

आजादी के बाद से ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली औपनिवेशिक नींव, अक्षमताओं और पुराने प्रावधानों के कारण चिंता का विषय रही है। आजादी के बाद से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली जो कि 150 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, मूलतः ब्रिटिश काल के कानूनों पर आधारित रही है। यह न्याय प्रणाली ब्रिटिश शासन द्वारा मुख्यतः लोकतांत्रिक ढाँचे में न्याय प्रदान करने के बजाय जनता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनायी गई थी। वर्षों से एक व्यापक बदलाव की माँग निष्पक्ष और जन-केंद्रित न्याय की आवश्यकता के दृष्टिगत की जा रही थी।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली एक लंबे कालखंड से अभूतपूर्व लंबित मामलों से जूझ रही है, जिससे समय पर न्याय तक पहुँच और संस्थागत दक्षता को लेकर गंभीर चिंताएँ निर्मित हुई हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 (IJR 2025) के अनुसार वर्ष 2024 तक देश में लम्बित प्रकरणों की संख्या 05 करोड़ से अधिक हो गई थी। यह सभी न्यायालयों के स्तरों पर 30% से ज़्यादा की वृद्धि थी। लम्बित प्रकरणों की यह व्यापक संख्या ज्यूडिशियल वैकेंसी, प्रक्रियागत अक्षमता और हर वर्ष नए प्रकरणों के आने से निर्मित होने वाली चुनौतियों को परिलक्षित करती है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के फरवरी 2026 की स्थिति में आंकड़ों के अनुसार देशभर में विभिन्न स्तर के न्यायालयों में कुल 4,86,24,604 मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों में से 3,74,78,118 आपराधिक प्रकरण हैं। 1,11,46,486 मामले सिविल प्रकरणों के हैं। अर्थात् देशभर के न्यायालयों में लंबित कुल मामलों में से 77.05% मामले आपराधिक प्रकरण हैं। इनमें से 4,97,028 आपराधिक प्रकरण ऐसे हैं जो 20-30 वर्ष से लंबित हैं। 35,93,969 आपराधिक प्रकरण ऐसे हैं जो 10-20 वर्ष से लंबित हैं। 73,17,861 आपराधिक प्रकरण ऐसे हैं जो 5-10 वर्ष से लंबित हैं। 59,10,409 आपराधिक प्रकरण ऐसे हैं जो 3-5 वर्ष से लंबित हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार 9.59 प्रतिशत मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। 19.53 प्रतिशत प्रकरण ऐसे हैं जो 5-10 वर्षों से लंबित हैं। वर्ष 2025 में 2,24,86,741 आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए तो वहीं इसी वर्ष 2025 में 2,08,55,567 प्रकरणों का निपटान भी हुआ। इस तरह केस क्लियरेंस दर 92.77% रही। वर्ष 2024 के दौरान 2,09,42,471 आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए तो वहीं इसी वर्ष 2024 में 1,96,78,106 आपराधिक प्रकरणों का निपटान भी हुआ। 93.97% केस क्लियरेंस दर रही। बावजूद इसके देशभर में न्यायालयों के पास आपराधिक प्रकरणों के लंबित मामलों का व्यापक बैकलॉग है। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में दोषसिद्धि दर 54.2 प्रतिशत थी, जो 2021 में 57 प्रतिशत से कम है। ऐतिहासिक औसत वर्ष 2000 से 2022 के दौरान 2020 में 59.2 प्रतिशत के शिखर के साथ 42.5 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2023 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अपराध दर में बदलाव देखा गया और साइबर अपराधों की संख्या बढ़कर 31.2% रिकॉर्ड की गई। वर्ष 2025 में साइबर अपराधों की वृद्धि वर्ष 2024 की तुलना में 24% अधिक रिकॉर्ड की गई है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपना अस्तित्व रखती है। कानून के शासन, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और लोकव्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करना आपराधिक न्याय प्रणाली का मौलिक दायित्व है। पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अब भारतीय

न्याय संहिता (बीएनएस), पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सहित अपने व्यापक कानूनी ढांचे के बावजूद भी हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को महत्वपूर्ण संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की इसकी क्षमता और कार्यदक्षता को कमजोर करते हैं। भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था एक लम्बे कालखण्ड से जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रही है वे निम्नानुसार हैं –

## 2. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अनुसंधान प्रक्रिया के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ :-

आपराधिक न्याय प्रणाली में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह एक सफल अभियोजन और निष्पक्ष विचारण की नींव रखता है। अनुसंधान प्रक्रिया में साक्ष्य एकत्र करना, साक्षियों (गवाहों) से पूछताछ करना और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करना शामिल होता है। इसके लिए सटीकता, निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। एक सुदृढ़ विधिक संरचना के बावजूद भी भारत में अनुसंधान अक्सर प्रणालीगत, प्रक्रियागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों से ग्रस्त रहती है जो आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

### 2.1 जनशक्ति और संसाधनों की कमी :-

भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जनशक्ति (कर्मचारियों) की भारी कमी से जूझ रही हैं। पुलिस अधिकारियों पर अक्सर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और आपराधिक मामलों की जाँच सहित कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। यह कार्यभार उन्हें गहन जाँच करने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान देने में अवरोध निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों की कमी जैसे पुरानी फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ, अपर्याप्त तकनीकी उपकरण, वित्तीय संसाधनों की कमी अनुसंधान की गुणवत्ता और दक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस-जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिस कार्मिकों से अधिक नहीं जा सका है, वहीं यह अनुपात पुलिस कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है। पुलिस कार्मिकों की स्वीकृत संख्या और नियुक्त संख्या में अंतर आने का दूरगामी परिणाम यह होता है कि इससे प्रकरणों के अनुसंधान में अधिक समय लगता है, अपराध रोकने के प्रयास विफल होते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

### 2.2 पर्याप्त प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का अभाव :-

देश में अनुसंधान प्रक्रिया की विसंगतियों और चुनौतियों में सबसे गंभीर विषय पुलिस अधिकारियों और अनुसंधान एजेंसियों के लिए उचित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का अभाव है। कई अनुसंधानकर्ताओं को उन्नत फोरेंसिक तकनीकों, साइबर अपराध जाँच उपकरणों और साक्ष्य संरक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान की कमी के कारण अक्सर साक्ष्यों का गलत इस्तेमाल, खराब दस्तावेज़ और प्रक्रियात्मक विसंगतियां सामने आती हैं, जो न्यायालय में अभियोजन पक्ष के मामले को कमज़ोर कर देती हैं।

### 2.3 राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार :-

अनुसंधान प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जाँच अधिकारियों पर अक्सर प्रभावशाली व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं एवं निहित स्वार्थों द्वारा अनुसंधान में हेरफेर करने या अनुचित देरी करने का दबाव डाला जाता है। पुलिस बलों में व्याप्त भ्रष्टाचार आपराधिक मामलों के निष्पक्ष अनुसंधान को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्यों से समझौता होता है, गवाहों के बयानों में हेराफेरी की जाती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को कम करती हैं और न्याय प्रणाली को कमजोर करती हैं।

**2.4 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में देरी :-**

एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करना एक आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होता है। कई मामलों में पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करते हैं या मना करते हैं, विशेषकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामलों में। इस देरी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं और न्यायालय में अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो सकता है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) के महत्वपूर्ण केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी कर कहा था कि प्राथमिकी का तत्काल पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिकी के तत्काल पंजीकरण के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन देश में आज भी एक सतत और गंभीर समस्या बनी हुई है।

**2.5 साक्ष्य संग्रहण और संरक्षण का निम्न स्तर -**

अनुसंधान एजेंसी में कार्यरत अनुसंधान अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी के कारण साक्ष्य संग्रहण और संरक्षण की गुणवत्ता प्रायः निम्न स्तर की होती है। अनुसंधान अधिकारी कभी-कभी उचित फोरेंसिक प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण साक्ष्य या तो दूषित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं का अभाव और उन्नत तकनीकों का सीमित उपयोग इस समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है। परिणाम यह होता है कि कई आपराधिक मामले अपर्याप्त या अनुचित तरीके से एकत्रित किए गए साक्ष्य के कारण विचारण के दौरान ही विफल हो जाते हैं।

**2.6 गवाहों को धमकाना और शत्रुता :-**

आपराधिक मामलों के अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान गवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका सहयोग अक्सर धमकी, उत्पीड़न या प्रलोभन के कारण बाधित होता है। कई मामलों में, गवाह शक्तिशाली अभियुक्त पक्षों से प्रतिशोध के डर से प्रतिकूल हो जाते हैं। एक सुदृढ़ गवाह संरक्षण योजना के अभाव में गवाहों (साक्षियों) के लिए ईमानदार गवाही देना मुश्किल हो जाता है, जिससे अनुसंधान की निष्पक्षता और प्रामाणिकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

**2.7 अफसरशाही, लालफीताशाही और प्रक्रियात्मक देरी :-**

भारत में जाँच प्रक्रिया अक्सर अफ़सरशाही, लालफीताशाही, अत्यधिक कागजी कार्रवाई और कठोर प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। अनुसंधानकर्ताओं को नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे कभी-कभी अनावश्यक देरी हो सकती है। इसके अलावा, पुलिस, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अभियोजकों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय प्रायः कमजोर होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधान और अक्षम होती है।

**2.8 जवाबदेही और निगरानी तंत्र का अभाव :-**

आपराधिक मामलों की अनुसंधान प्रक्रिया में जवाबदेही का सामान्यतः अभाव है। पुलिस कदाचार के मामले जिनमें हिरासत में यातना और झूठे इकबालिया बयान शामिल हैं, प्रायः कमज़ोर निगरानी तंत्र के कारण अनियंत्रित रह जाते हैं। नियमित ऑडिट, समीक्षा और स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों के अभाव के कारण ऐसी कदाचारी गतिविधियाँ निरंतर जारी रहती हैं।

**2.9 तकनीकी पिछड़ापन :-**

तकनीकी प्रगति के साथ अपराध तेज़ी से जटिलतर होते जा रहे हैं, भारतीय पुलिस के पास उपलब्ध जाँच उपकरण अभी भी काफी हद तक पुराने हैं। साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य तकनीकी अपराधों के लिए विशेष उपकरणों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर मौजूदा प्रणाली में अभाव है। डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने में अत्यधिक विलंब और धीमी रफ्तार से भी आपराधिक मामलों के अनुसंधान में अनुचित विलंब होता है और अक्षमताएँ बढ़ती हैं।

### 2.10 जनता की धारणा और विश्वास की कमी :-

प्रभावी साक्ष्य जुटाने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक होता है। भ्रष्टाचार, हिरासत में हिंसा और पक्षपातपूर्ण अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के इतिहास के कारण पुलिस अनुसंधान में जनता के विश्वास में कमी आई है। पीड़ित और गवाह अक्सर उत्पीड़न या निष्क्रियता के भय से पुलिस से संपर्क करने में हिचकिचाते हैं। यह विश्वास की कमी अनुसंधान की प्रक्रिया में और बाधा डालती है।

## 3. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत विचारण प्रक्रिया की चुनौतियाँ :-

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में विचारण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ साक्ष्यों की जाँच की जाती है, गवाहों (साक्षियों) से जिरह की जाती है और अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण किया जाता है। मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) द्वारा शासित और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) द्वारा निर्देशित विचारण प्रक्रिया निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हालाँकि, एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचे के बावजूद भारतीय विचारण प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

### 3.1 न्यायिक विलंब और लंबित मामले -

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाले सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक लंबित मामलों की विशाल संख्या है। लाखों मामले भारतीय अदालतों में लंबित रहते हैं, और आपराधिक मामले अक्सर वर्षों, कभी-कभी दशकों तक भी चलते रहते हैं। इसके कारणों में न्यायाधीशों की कमी, बार-बार स्थगन, प्रक्रियात्मक अक्षमताएँ और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। इस तरह की देरी न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करती है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत अभियुक्त के शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करती है।

### 3.2 बार-बार स्थगन -

बार-बार स्थगन दिए जाने से आपराधिक मुकदमों की गति बाधित होती है और उनकी अवधि अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। वकील अक्सर प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा उठाकर बार-बार स्थगन मांगते हैं, जिससे पहले से ही अत्यधिक दबाव वाली न्यायपालिका पर और बोझ बढ़ जाता है। यह प्रवृत्ति/प्रथा पीड़ितों को निराश करती है, समय के साथ गवाहों की गवाही को कमजोर करती है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करती है।

### 3.3 गवाहों का विरोध और संरक्षण -

आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत गवाह (साक्षी) आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं, लेकिन भारत में गवाहों को धमकाना और परेशान करना आम बात है। कई गवाह भय, ज़बरदस्ती या प्रलोभन के कारण मुकर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गवाही अविश्वसनीय होती है और आपराधिक मामले कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक सुदृढ़ और सशक्त गवाह सुरक्षा योजना का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है। हालाँकि गवाह सुरक्षा योजना, 2018 कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, लेकिन इसका कार्यान्वयन उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सका है जितना होना चाहिए।

### 3.4 अप्रभावी अभियोजन प्रणाली -

मुकदमे के दौरान न्याय सुनिश्चित करने में अभियोजकों/सरकारी वकील (प्रॉसिक्यूटर) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हालाँकि, भारत में अभियोजन प्रणाली संसाधनों की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है। अभियोजक (सरकारी वकील) अक्सर कई मामलों के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे उनके लिए केस की पूरी तरह से तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप अदालत में प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता है और आरोपी व्यक्ति या अभियुक्त के दोषमुक्त (बरी) होने की संभावना बढ़ जाती है।

### 3.5 एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव -

एक सुचारू विचारण प्रक्रिया के लिए अनुसंधान अभिकरण अर्थात् पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। इन एजेंसियों के बीच खराब संचार और सहयोग की कमी अक्सर देरी, सबूतों की हानि और प्रक्रियात्मक खामियों का कारण बनती है। इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमज़ोर हो जाता है और आपराधिक प्रकरणों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### 3.6 अत्यधिक बोझ वाली न्यायपालिका और बुनियादी ढाँचे की कमी -

भारतीय न्यायालयों में आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं है। मुकदमों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए न्यायालयों, न्यायाधीशों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी उपकरणों के अभाव में मामले के दस्तावेज़ीकरण, साक्ष्य प्रस्तुतीकरण और समग्र केस प्रबंधन में देरी होती है।

### 3.7 त्वरित विचारण तंत्र का अभाव -

भारतीय संविधान त्वरित/शीघ्र विचारण के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसका प्रवर्तन काफी हद तक सैद्धांतिक है। विशिष्ट अपराधों (जैसे - यौन उत्पीड़न के मामले) के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स और विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक अक्षमताओं और संसाधनों की कमी के कारण उनकी प्रभावशीलता सीमित रही है।

## 4. नवीन आपराधिक विधि सुधारों की आवश्यकता -

भारतीय आपराधिक विधियों में सुधारों की आवश्यकता इस समझ से उपजी है कि कई विद्यमान कानून पुराने हो चुके थे और औपनिवेशिक दौर के ढाँचों में ढले थे, जो अब समकालीन सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। ये आपराधिक कानून मूलतः एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे जो न्याय प्रदान करने के बजाय नियंत्रण और उत्पीड़न पर अधिक केंद्रित थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए इन कानूनों की कई धाराएँ अपनी प्रासंगिकता खो चुकी थीं और अब आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहीं थीं। जैसे-जैसे भारत वर्षों में विकसित हुआ है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि औपनिवेशिक दौर के कानून अब भारतीय संविधान में निहित मूल्यों समानता, न्याय और मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं हैं। इन कानूनों के पुराने प्रावधान समाज, तकनीक और अपराध के तरीकों में बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। परिणामस्वरूप, ये पुराने कानून समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में अप्रभावी और अपर्याप्त हो गए थे। इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता अनुभव हुई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निष्पक्ष, कुशल और एक तेजी से बढ़ते राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सुधार की इस आवश्यकता की पहचान अप्रचलित कानूनों को अद्यतन प्रावधानों से बदलने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जो आधुनिक भारत की वास्तविकताओं के लिए बेहतर अनुकूल हों।

नवीन आपराधिक विधियों के अधिनियम के माध्यम से भारत में आपराधिक न्याय सुधार केवल विधिक बदलाव का प्रतीक ना होकर मानसिकता में भी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक न्याय व्यवस्था का यह रूपांतरण औपनिवेशिक विरासत से संवैधानिक नैतिकता की ओर, शक्ति-केंद्रित सत्ता से नागरिक-केंद्रित सेवा की ओर तथा पुरातन प्रक्रियाओं से आधुनिक एवं तकनीक-सक्षम न्याय की ओर परिवर्तन/रूपांतरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। नवीन आपराधिक विधियों अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 का अधिनियमन विधिक रूपांतरण (ट्रांसफॉर्मेशन) की इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है।

**5. नवीन आपराधिक विधियों में आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावी एवं त्वरित बनाने हेतु किये गए महत्वपूर्ण बदलाव -**

नवीन आपराधिक विधियों में औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पाकर भारतीय न्याय दर्शन की आत्मा समाहित करने का रचनात्मक प्रयास किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 इन तीनों आपराधिक कानूनों के अंतर्गत हमारे संविधान के तीन मौलिक आदर्शों व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार एवं सबके साथ समान व्यवहार को इनमें समाहित करने का भरसक प्रयास किया गया है। पुरानी तीनों आपराधिक विधियों के अंतर्गत जहाँ दण्ड देने को ही न्याय माना गया था, लेकिन न्याय की अपनी पृथक एवं स्वतंत्र रूप से कोई परिकल्पना इनमें नहीं की गयी थी, वहीं भारत की संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुके इन तीनों नवीन आपराधिक कानूनों में आजादी के 75 वर्ष बाद जाकर मानवीकरण किया गया है और दण्ड देने का उद्देश्य पीड़ित को न्याय देना और समाज में एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना रखा गया है जिससे कि कोई और अपराधी आगे चलकर ऐसी गलती ना करे। इन तीनों नवीन आपराधिक विधियों की आत्मा, शरीर और सोच सब पूर्णतः भारतीय है। आपराधिक विधियों में हुए मूलभूत बदलावों का विश्लेषण निम्नानुसार है -

**5.1 नए आपराधिक कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली के दंडात्मक चरित्र को बरकरार रखते हुए सुधारात्मक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न -**

नए आपराधिक कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के दंडात्मक चरित्र को बरकरार रखते हुए सुधारात्मक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते दिखायी देते हैं। 1979 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रेक्षण दिया था कि केवल अपराध की रोकथाम के बजाय अपराधियों का सुधार और पुनर्वास भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है कि दण्ड का विचार सुधारात्मक हो और इसका उद्देश्य अपराधियों का समाज में फिर से पुनर्वास करना हो। आपराधिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे (2007) की रिपोर्ट ने आपराधिक कानून में कुछ सुधारात्मक तत्वों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत थे -

(1) उन अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना जिन्हें सिविल प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

(2) मुकदमे के बिना मामले को निपटाने को बढ़ावा देना (कंपाउंडिंग और प्ली बार्गेनिंग)

(3) आवारागर्दी जैसे अपराधों के लिए मुआवजे और सामुदायिक सेवा की अनुमति देना। नए आपराधिक कानून कुछ अपराधों के लिए कारावास की बजाय सामुदायिक सेवा के जरिए सुधारात्मक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे बड़े पैमाने पर आपराधिक न्याय प्रणाली के दंडात्मक चरित्र को बरकरार रखते हैं।

**5.2 आपराधिक पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति -**

2006 में सीआरपीसी में संशोधन किया गया ताकि मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति से हैंडराइटिंग या हस्ताक्षर के नमूने प्राप्त करने की शक्ति मिल सके। बीएनएसएस ने मजिस्ट्रेट को उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने एकत्र करने का अधिकार देकर इस प्रावधान का विस्तार किया है और उन व्यक्तियों के दायरे का विस्तार किया है जिनका डेटा एकत्र किया जा सकता है। आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) एक्ट, 2022 जांच के लिए व्यक्तियों के बारे में अधिक पहचान योग्य जानकारी जैसे जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। उन व्यक्तियों के डेटा संग्रह की भी अनुमति दी गयी है जो आरोपी नहीं हो सकते हैं।

**5.3 अभियुक्त-केंद्रित दृष्टिकोण की जगह पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को मान्यता -**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत 'पीड़ित' शब्द को परिभाषित करने में अभियुक्त-केंद्रित दृष्टिकोण को हटा दिया गया है। पीड़ित अर्थात विक्टिम को एफ.आई.आर. की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में विक्टिम को सूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अभियोजन वापसी के

अंतिम चरण में पीड़ित के भागीदारी अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गई है। विक्टिम को सुने बिना कोई भी सरकार 07 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकेगी। इस प्रावधान से नागरिकों विशेषकर विक्टिम के अधिकारों की रक्षा होगी।

**5.4 शीघ्र एवं त्वरित न्याय (स्पीडी डिलेवरी ऑफ जस्टिस) से संबंधित प्रावधान -**

आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ होने से लेकर गिरफ्तारी, अनुसंधान, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, केस का संज्ञान, आरोप, प्ली बारगैनिंग, ट्रायल, जमानत, जजमेंट, सजा और मर्सी पिटीशन इत्यादि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में समय-सीमा (टाइमलाइन) निर्धारित कर दी गई है। 45 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिससे स्पीडी डिलेवरी ऑफ जस्टिस संभव हो सके। न्यायालय आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 45 दिनों के भीतर न्यायाधीश को निर्णय देना होगा। निर्णय 07 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे लाभ यह होगा कि वर्षों-वर्ष तक निर्णय लंबित नहीं पड़े रहेंगे। शीघ्र न्याय (स्पीडी डिलेवरी ऑफ जस्टिस) सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि सेवानिवृत्त या स्थानांतरित अनुसंधान अधिकारियों (आई.ओ.) द्वारा एकत्र साक्ष्यों को उनके परवर्ती या उत्तरवर्ती अधिकारी (सक्सेसर) द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। अर्थात वर्तमान में जो पुलिस अधिकारी या लोक सेवक या चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है वही केस की फाइल देखकर गवाही देगा, जो केस के समय पहले पदस्थ था, उसे आने की जरूरत नहीं होगी। इससे गवाही जल्दी होगी और न्याय भी जल्द उपलब्ध हो सकेगा। शीघ्र एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि सिविल सेवकों के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। यदि सरकार 120 दिनों के भीतर कोई फैसला नहीं लेती है तो इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल प्रारंभ कर दिया जाएगा।

**5.5 पुलिस की जवाबदेही में वृद्धि -**

प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को अनिवार्य बना दिया गया है, जो कि केस का हिस्सा होगी और ऐसा होने से अब निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से की गईं ये वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा बिना किसी विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और अनुसंधान में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं जोड़ी गईं हैं। प्रारम्भिक जांच का प्रावधान पहली बार जोड़ा गया है। 03 वर्ष से कम कारावास के लिए और यदि गिरफ्तार व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक या दिव्यांग है तो डिप्टी एस.पी. रैंक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

**5.6 ट्रायल इन एब्सेंशिया को अनुमति -**

यदि कोई घोषित अपराधी ट्रायल से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल चलाया जा सकता है, ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किया गया है। ट्रायल में शीघ्रता लाने के लिए न्यायालय द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल आरोप तय होने से 90 दिनों के भीतर होगा।

**5.7 आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं डिजिटलाइजेशन के प्रयोग पर विशेष जोर -**

पुलिस अनुसंधान से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया में कंप्यूटराइजेशन पर विशेष बल दिया गया है। ई-रिकॉर्ड्स, जीरो एफ.आई.आर., ई-एफ.आई.आर., चार्जशीट इन सबका डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है। रेप विक्टिम के लिए ई-बयान का प्रावधान किया गया है अर्थात रेप विक्टिम का बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज (रिकॉर्ड) किया जा सकेगा। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-पेशी के प्रावधान किए गए हैं, इसके लिए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड का उपयोग किया जा सकता है।

**5.8 फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन को प्रोत्साहन -**

आपराधिक प्रकरणों में जांच के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया है। 07 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी आपराधिक मामलों में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन को अनिवार्य किया गया है। अर्थात ऐसे आपराधिक मामलों में क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम के विजिट को अब अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसा करने से पुलिस के पास आपराधिक प्रकरणों में एक वैज्ञानिक साक्ष्य हुआ करेगा जिससे कोर्ट्स में साक्ष्य के अभाव में आरोपियों की दोषमुक्ति की संभावना बेहद कम हो जायेगी। देशभर में फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के लिए फोरेंसिक लैब्स की जगह-जगह स्थापना की बात की गई है।

**5.9 फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी के बाद केस संपत्तियों के निपटान का प्रावधान -**

अक्सर देखने में आता है कि देशभर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियाँ वर्षों-वर्ष तक पड़ी रहतीं हैं। जांच के दौरान न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने और फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी के बाद ऐसी संपत्तियों के शीघ्र निपटान का प्रावधान किया गया है। फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी का किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है। फोटोग्राफ लेने या वीडियोग्राफी के 30 दिवस के भीतर संपत्ति के निपटान, विनष्टीकरण, जब्ती या वितरण का आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है।

**5.10 तीन वर्ष तक के कारावास के आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल का प्रावधान -**

छोटे मामलों अर्थात ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें 03 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, इनके लिए समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया है। छोटे अपराधों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा देने से यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है की सेशन कोर्ट्स में 40 प्रतिशत तक केसों में कमी आ जायेगी।

**5.11 एक से अधिक आरोप होने पर जमानत का दायरा सीमित -**

सीआरपीसी के अनुसार, अगर किसी विचाराधीन कैदी ने किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया है, तो उसे उसके निजी बांड पर रिहा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू नहीं होता है जिनमें मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान हो। बीएनएसएस ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है और कहा है कि उन विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जाएगी जो पहली बार अपराधी हैं, अगर उन्होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा कर लिया है। हालांकि यह प्रावधान निम्नलिखित अपराधों और व्यक्तियों पर भी नहीं लागू होंगे - (1) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, और (2) ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है। चूंकि आरोप पत्रों में अक्सर कई अपराधों का उल्लेख होता है, इसलिए इस प्रावधान से कई विचाराधीन कैदी अनिवार्य जमानत के अयोग्य हो सकते हैं।

**5.12 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता -**

भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता देती है और उन्हें अध्याय-5 में समेकित करती है, जो पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं में बिखरे हुए थे।

**5.13 भारतीय न्याय संहिता पूर्व से अधिक संक्षिप्त और प्रासंगिक -**

भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रावधानों को भी सुव्यवस्थित करती है। धाराओं की संख्या 511 से घटकर 358 हो गई है। जिससे यह अधिक संक्षिप्त और प्रासंगिक हो जाती है।

**5.14 प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र को एक अध्याय के अंतर्गत लाना -**

भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत हुए प्रमुख परिवर्तनों में प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र को एक अध्याय के अंतर्गत लाना है। एक महत्वपूर्ण संशोधन धारा 48 के अनुसार, देश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा भारत में किए गए अपराधों के दुष्प्रेरण को अपराध घोषित करना है।

**5.15 मॉब लिंचिंग पहली बार परिभाषित और सजा का प्रावधान -**

आपराधिक विधि के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को पहली बार परिभाषित किया गया है। जाति, समुदाय, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या या गम्भीर उपहति (चोट) को मॉब लिंचिंग कहा गया है। पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 07 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**5.16 'राजद्रोह' के स्थान पर अब फूट, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक, अलगाववादी गतिविधियों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्य अपराध -**

औपनिवेशिकता के उन्मूलन के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा घोषित किए गए 'राजद्रोह' के अपराध को समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं है। राजद्रोह का प्रावधान आईपीसी में राज्य या देश के लिए नहीं, बल्कि शासन (सरकार) के लिए था। केवल सरकार के प्रति अप्रसन्नता या अवमानना या घृणा दिखाना अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। आईपीसी में 'आशय' या 'प्रयोजन' की बात नहीं थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब फूट, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों के संबंध में परिभाषा में 'आशय' की बात है, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक रक्षोपाय (सेफगार्ड) प्रदान करता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य किए जाने पर 07 वर्ष तक के कारावास या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है।

**5.17 छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) समाहित -**

भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप छोटे अपराधों के मामलों में सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) का प्रावधान किया गया है। 06 अपराधों में सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) को समाहित किया गया है. जैसे - 5000/- रुपए से कम मूल्य की चोरी पर सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) का प्रावधान है।

**5.18 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, झूठे वादों, जैसे धोखे से शादी के वादे के अंतर्गत यौन संबंध बनाने के लिए एक नया अपराध भी सृजित -**

भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए झूठे वादों, जैसे धोखे से शादी के वादे के अंतर्गत यौन संबंध बनाने के लिए एक नया अपराध भी सृजित किया गया है।

**5.19 स्नैचिंग एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित -**

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 के तहत स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि पहले ऐसे कृत्यों को चोरी या डकैती के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।

**5.20 संगठित अपराध और आतंकवाद को बीएनएस में स्थान, राजद्रोह के अपराध की समाप्ति -**

सजा के संदर्भ में, संगठित अपराध और आतंकवाद को बीएनएस में जोड़ा गया है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। नवीन आपराधिक मौलिक विधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के अपराध (आईपीसी की धारा 124ए) को समाप्त करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को सामर्थ्यवान स्वरूप में रखती है। लिंचिंग और भीड़ हिंसा को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है, और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए कारावास की सजा अनिवार्य कर दी गई है।

ये समस्त सकारात्मक परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता के आपराधिक न्याय के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और न्याय की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

**6. सुझाव एवं अनुशंसाएं –**

1. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (वर्ष 2025) ने रेखांकित किया है कि भारत में प्रत्येक 50,000 नागरिकों पर 0.75 न्यायाधीश अर्थात एक न्यायाधीश से भी कम की सेवा उपलब्ध है। अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर न्यायिक सेवाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। सुधार की शुरुआत पिरामिड के निचले स्तर से होनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में इसे दस्तावेजों के डिजिटलीकरण सहित तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये ताकि जाँच एवं परीक्षण में तेज़ी लाने में मदद मिल सके। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संस्थानीकरण सही दिशा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है।
2. प्रगतिशील और आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिये जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पुलिस एक्ट में सुधार लाने और हमारे पुलिस बल के कौशल को उन्नत करने की वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
3. 'प्रकाश सिंह विरुद्ध युनियन ऑफ़ इण्डिया'(2006) के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रणाली में सुधार का सुझाव देते हुए दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिसमें विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का कार्य करने के पुलिस के दायित्वों को पृथक करने की बात कही गई है। इस दिशा में निर्णायक पहल होनी चाहिए।
4. 1861 का पुलिस एक्ट अप्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग को एक नया भारतीय पुलिस एक्ट तैयार करना चाहिए।
5. देशभर के हाईकोर्ट्स में एक अलग आपराधिक प्रभाग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें आपराधिक विधि के विशेषज्ञ न्यायाधीशों को शामिल किया जाना चाहिए।
6. अनुसंधान, अभियोजन एवं न्यायिक अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की आज आवश्यकता है।
7. न्याय का संचार उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि न्याय का निर्धारण। आम नागरिक के विश्वास और भरोसे को जीवंत करने के लिये कानूनी प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिये कि भाषाई अवरोधों को दूर किया जाए ताकि गैर-अंग्रेज़ी भाषियों के लिये न्यायालयों में प्रवेश की प्रक्रिया बोझिल ना हो। भाषाई अवरोधों को दूर करना देश की विधि एवं न्याय व्यवस्था के 'भारतीयकरण' की दिशा में एक सर्वाधिक जरुरी ऐतिहासिक कदम होगा।

**7. निष्कर्ष :-**

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपना अस्तित्व रखती है। कानून के शासन, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और लोकव्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करना आपराधिक न्याय प्रणाली का मौलिक दायित्व है। पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सहित अपने व्यापक कानूनी ढांचे के बावजूद भी हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को महत्वपूर्ण संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की इसकी क्षमता और कार्यदक्षता को कमजोर करते हैं। विलंबित मुकदमे, पुलिस की अक्षमता, गवाहों को डराना-धमकाना, भीड़भाड़ वाली जेलें और पीड़ितों के लिए अपर्याप्त सहायता तंत्र जैसे मुद्दे अभी भी विद्यमान हैं, जो व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम कर रहे हैं। अभियुक्तों के अधिकारों और

पीड़ितों की सुरक्षा के बीच असंतुलन, साथ ही पुरानी जाँच पद्धतियाँ और न्यायिक रिक्तियाँ, इन चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं। भारत को आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी अपनी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपराधिक विधि सुधारों को पुलिस जवाबदेही, न्यायिक दक्षता, जेल आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीकी एकीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। पुलिस की जाँच और कानून-व्यवस्था संबंधी ज़िम्मेदारियों का पृथक्करण, न्यायिक रिक्तियों को भरना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देना और न्यायालयीन प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन प्रणालीगत विलंब को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। इसके अलावा, पीड़ितों के अधिकारों और गवाह संरक्षण कार्यक्रमों पर अधिक ज़ोर देना आपराधिक मामलों के युक्तियुक्त निपटान और आपराधिक कार्यवाहियों में जनसहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजकों, बचाव पक्ष के वकीलों, पीड़ितों, गवाहों, सुधारात्मक अधिकारियों, विधायिका, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों सहित हितधारकों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इन हितधारकों के बीच एक समन्वित और सहयोगात्मक प्रयास एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक है। तकनीकी प्रगति, एआई-सहायता प्राप्त केस प्रबंधन प्रणालियाँ, डिजिटल फोरेंसिक उपकरण और वर्चुअल कोर्ट्स दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जेल सुधारों को दंडात्मक उपायों से आगे बढ़कर पुनर्वास, कौशल विकास और अपराधियों के सामाजिक पुनर्मिलन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मूल रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली को पीड़ित-केंद्रित, निष्पक्ष और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए पर पड़े समुदायों, जो अक्सर प्रणालीगत पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करते हैं, उनके लिए सुलभ होना चाहिए। जनता का विश्वास केवल पारदर्शी प्रक्रियाओं, निष्पक्ष विचारण, समय पर न्याय और भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहिष्णुता के माध्यम से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ने संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी यह ऐतिहासिक विरासतों और संरचनात्मक अक्षमताओं के बोझ तले दबी हुई है। एक व्यापक, बहु-हितधारक सुधार दृष्टिकोण, जो दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधनों तथा न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता से समर्थित हो, आज समय की मांग है तभी व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पूरा कर सकती है कि न्याय न केवल हो, बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखे जिससे कि नागरिकों का विधि शासन (रूल ऑफ़ लॉ) और भारतीय संविधान के आदर्शों में विश्वास बनाए रखा जा सके।

## 8. संदर्भ –

1. Bhardwaj H.R., The Criminal Justice System in India, Revised Edition 2019, Konark Publishers Pvt. Ltd.
2. Ukey Dilip, Chirag Balyan, Melissa W Alavalkar, Yesudas Naidu, Mary Sebastian Revisiting Reforms in the Criminal Justice System in India, , First Edition 2020, Thomson Reuters Legal
3. Singh Prakash, The Struggle for Police Reforms in India Ruler's Police to People's Police, Edition 2022, Rupa Publication India Pvt. Ltd.
4. Modak Anoopam, Criminal Major Acts, Second Edition 2024, Whitesmann Publishing Co.
5. Gaur K.D., Criminal Law, Criminology and Administration of Criminal Justice, Third Edition 2015, Lexis Nexis.
6. Pandey Prakash, Lecture Notes on Code of Criminal Procedure, Edition 2018, Into Legal World Publishers.

7. Pandey Dr. Anand Kumar Tripathi, Pande Ashutosh, Dr. Dimple T. Rawal, Criminal Justice System in India : Need for Systemic Changes, First Edition 2018, Selective and Scientific Publisher New Delhi.
8. Kataria Dr. Gaurav, Crime and Criminal Justice System : Contemporary Issues, Edition 2014, Regal Publications New Delhi.
9. National Judicial Data Grid, Available online at https://njdg.ecourts.gov.in/njdg_
10. Malik Abhinandan, Judicial Reforms : A Global Perspective, First Edition 2017, Eastern Book Company, Lucknow.
11. National Crime Records Bureau, Available Online at https://ncrb.gov.in
12. India Justice Report 2025, Available online at https://indiajusticereport.org